न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

आर0 एम0 पी0 वाद सं0–27 / 2011–12
(64 / 2002)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़–बनाम–घनश्याम दास लखमानी

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03

यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर0एम0पी0 वाद सं0–64 / 2002 में दिनांक–30.12.2011 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा–खपड़ाजोला, जमाबन्दी सं0–22 के दाग सं0–243, 244, 245, 246 एवं 247 अंतर्गत रकवा–03बी0–09क0–11धूर भूमि का विपक्षी घनश्याम दास लखमानी, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी–II में सृजित जमाबंदी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था0 रा0 वि0 वाद सं0–78 / 98–99 में दिनांक–24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है।

संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी / उत्तराधिकारी उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा एक आवेदन दाखिल कर कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी को खनन पट्टा स्वीकृत है तथा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पाकुड़ के द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत भूमि का लगान विपक्षी के नाम से निर्धारित किया गया था। परन्तु विपक्षी के द्वारा अपने उक्त दावे के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप कोई कागजात / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख में एक निबंधित खनन पट्टा की छायाप्रति उपलब्ध है जिसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है। खनन पट्टा के आधार पर लगान निर्धारण करने एवं इस आधार पर जमाबन्दी सृजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की सरकारी भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी को खनन पट्टा दिया गया था जिसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है। खनन पट्टा के आधार पर राजस्व पंजी–।। में सृजित जमाबन्दी बिल्कुल अवैद्य है। जिसका सरकार के हित में विलोपन किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी घनश्याम दास लखमानी, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी–II में सृजित जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबंदी को विलोपित करते हुए उसे सरकारी कब्जे में ले लेगें एवं तद्संबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करेंगें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Digitally signed by JEMES SURIN
Date: 2025.03.07 15:13:03 +05:30
Location: 192.168.0.116

03/03/25
अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।

03/03/25
अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।